

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं ह०),

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 06/06/2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन विभिन्न योजनाओं में (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सहित) रू० 29429.00 लाख (दो सौ चौरानवे करोड़ उनतीस लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) द्वारा संचालित राज्य योजना मद के मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के सभी चालू घटक योजनाओं में कुल रू० 29429.00 लाख (दो सौ चौरानवे करोड़ उनतीस लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध है। वित्त विभाग के पत्रांक-428 दिनांक-31.03.2017 द्वारा 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि व्यय करने का निदेश है। उक्त प्रावधान के आलोक में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल उपबंध रू० 29429.00 लाख (दो सौ चौरानवे करोड़ उनतीस लाख रुपये) मात्र का योजनावार एवं घटकवार कॉलम-5 में अंकित राशि के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

रू० लाख में

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	2017-18 में बजट उपबंध	स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	51-2235601020105	8125.00	8125.00
		51-2235607890102	3475.00	3475.00
2	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना	51-2235601020104	9200.00	9200.00
		51-2235607890103	3400.00	3400.00
3	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	51-2235601020101	3150.00	3150.00
		51-2235607890104	1095.00	1095.00
4	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	51-2235022000103	300.00	300.00
		51-2235027890104	100.00	100.00
5	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	51-2235021010119	225.00	225.00
		51-2235027890111	75.00	75.00
6	ओल्ड एज होम	51-2235021010106	1.00	1.00
7	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	51-2235021040107	20.00	20.00
8	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	51-2235022000105	60.00	60.00
9	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	51-2235021040106	200.00	200.00
10	बिहार शताब्दी एड्स पीडीत कल्याण योजना	51-2210061010113	1.00	1.00
11	वृद्धाश्रम निर्माण (मॉड सं०-3 के अन्तर्गत)	03-4235021040101	1.00	1.00
12	मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	51-2235021010121	1.00	1.00
		कुल योग	29429.00	29429.00

(दो सौ चौरानवे करोड़ उनतीस लाख रुपये) मात्र

कृ०पृ०उ०.....2/

2. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चालू विभिन्न घटक योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सहित कुल रू0 29429.00 (दो सौ चौरानवे करोड़ उनतीस लाख रूपये) मात्र का बजट उपबंध उपलब्ध है।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह राशि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सामान्य घटक में बजट शीर्ष मांग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप शीर्ष-0105-लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विपत्र कोड-51-2235601020105, विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 8125.00 लाख (एकासी करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में बजट शीर्ष माँग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विपत्र कोड-51-2235607890102 विषय शीर्ष-0102.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 3475.00 लाख (चौतीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) मात्र से विकलनीय होगा।

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के सामान्य घटक में बजट शीर्ष माँग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप शीर्ष-0104-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विपत्र कोड-51-2235601020104, विषय शीर्ष-0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 9200.00 लाख (बेरानवे करोड़ रूपये) मात्र से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में बजट शीर्ष माँग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विपत्र कोड-51-2235607890103, विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 3400.00 लाख (चौतीस करोड़ रूपये) मात्र से विकलनीय होगा।

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सामान्य घटक में बजट शीर्ष माँग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप शीर्ष-0101-वृद्धावस्था पेंशन, विपत्र कोड-51-2235601020101, विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 3150.00 लाख (एकतीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में बजट शीर्ष माँग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, विपत्र कोड-51-2235607890104, विषय शीर्ष-0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 1095.00 लाख (दस करोड़ पनचानवे लाख रूपये) मात्र से विकलनीय होगा।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के सामान्य घटक में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0103-कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, विपत्र कोड-51-2235022000103 विषय शीर्ष-0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104-कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, विपत्र कोड-51-2235027890104, विषय शीर्ष-0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के सामान्य घटक में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विपत्र कोड-51-2235021010119, विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 225.00 लाख (दो करोड़ पचीस लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0111-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विपत्र कोड-51-2235027890111 विषय शीर्ष-0111.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 75.00 लाख (पचहत्तर लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

ओल्ड एज होम (सहारा) योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0106-निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान, विपत्र कोड-51-2235021010106, विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 1.00 लाख (एक लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-104-वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0107-मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, विपत्र कोड-51-2235021040107, विषय शीर्ष-0107.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0105-मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, विपत्र कोड-51-2235022000105, विषय शीर्ष-0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 60.00 लाख (साठ लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।



बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-104-वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0106-बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, विपत्र कोड-51-2235021040106, विषय शीर्ष-0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु० 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

बिहार शताब्दी एड्स पीडीत कल्याण योजना में बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण, उप शीर्ष-0113-बिहार शताब्दी एड्स पीडीत कल्याण योजना, विपत्र कोड-51-2210061010113, विषय शीर्ष-0113.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु० 1.00 लाख (एक लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

वृद्धाश्रम निर्माण में बजट शीर्ष माँग सं०-03-भवन निर्माण विभाग, मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-104-वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0101-वृद्धाश्रम, विपत्र कोड-03-4235021040101, विषय शीर्ष-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु० 1.00 लाख (एक लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में, बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0121-मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, विपत्र कोड-51-2235021010121, विषय शीर्ष-0121.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत रु० 1.00 लाख (एक लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना होंगे जो कि योजना का क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करायेंगे। सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो राशि की निकासी कर "सक्षम" (State Society for Ultra Poor & Social Welfare - SSUPSW) को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। सक्षम द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जायगी।

वृद्धाश्रम निर्माण का आवंटन भवन निर्माण विभाग को दिया जायगा।

5. योजनावार एवं घटकवार, उप शीर्षवार एवं विषयवार प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा।

6. इस योजना के अन्तर्गत राशि सहायक अनुदान- गैर वेतन ईकाई (31-06) में प्रावधानित है। सक्षम द्वारा प्राप्त Pre-receipt Voucher के आधार पर पेंशन भुगतान में आवंटित राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजा जाएगा। कार्यालय व्यय में आवंटित राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-25 पर की जायगी। माँग सं०-3 की राशि का व्यय भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जायगा।

7. योजना के व्यय में महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।


8. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजने की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

9. वित्त विभाग के ज्ञापांक- एम.4-53/2007-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका-8 में निहित निदेश के अनुसार पूर्व से संचालित इस योजना में प्रावधानित राशि की निकासी की स्वीकृति के लिए प्रशासी विभाग को प्रदत्त शक्ति के आलोक में यह आदेश निर्गत है।
10. इस स्वीकृति आदेश में संचिका सं०-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना-06/2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-07/टि० पर दिनांक-01.06.2017 को माननीया विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
11. इस स्वीकृति आदेश में संचिका सं०-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना-06/2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-08/टि० पर दिनांक-05.06.2017 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


विश्वासभाजन


(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना-06/2017 सं०क०- 775 पटना, दिनांक- 06/06/2017
प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-1/सा०सु० मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना-06/2017 सं०क०- 775 पटना, दिनांक- 06/06/2017
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, पटना/आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा एवं लेखा शाखा, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।
(२२६३)